

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जनपद शामली में पानीपत-खटीमा मार्ग (एन0एच0-709डी) के चार लेन निर्माण एवं सुदृढीकरण हेतु 19.80775 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1679 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में

Proposal संख्या-FP/UP/Road /37343/2018

राज्य सरकार की सिफारिशें-

वन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- पी 67/81-2-2019 -800(92)/2019, दिनांक 25/11/2019 के द्वारा प्रस्ताव पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

दिनांक- 25/09/19

हस्ताक्षर

()

(आशीष तिवारी)
विशेष अवर पदनाम
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उप प्रभारी, शामली